दिनांक 11.02.2025
प्रेस विज्ञप्ति 12/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारियों के निधन पर उनकी स्मृति में पुलिस मुख्यालय में शोक सभा का आयोजन

आज दिनांकः 11.02.2025 को पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ स्थित सभागार में श्री अजय राज शर्मा (आईपीएस–आरआर–1966) सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक के दिनांकः 10.02.2025 को तथा श्री शीतला प्रसाद श्रीवास्तव (आईपीएस–आरआर–1976) सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक के दिनांकः 20.01.2025 को हुये निधन के परिपेक्ष्य में शोक–सभा का आयोजन किया गया।

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण द्वारा दिवंगत पुलिस अधिकारियों को श्रद्वांजलि अर्पित की गयी।

श्री अजय राज शर्मा जी का जन्म 06 दिसम्बर 1944 को जनपद मिर्जापुर में हुआ था। श्री अजय राज शर्मा वर्ष 1966 में ''भारतीय पुलिस सेवा'' में चयनित हुए। प्रशिक्षण के उपरान्त श्री अजय राज शर्मा, सहायक पुलिस अधीक्षक, आगरा, बरेली, अपर पुलिस अधीक्षक आगरा, वाराणसी, पुलिस अधीक्षक बाँदा, फतेहगढ़, पुलिस अधीक्षक सीबीसीआईडी मुख्यालय लखनऊ, पुलिस अधीक्षक पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़, इलाहाबाद, मेरठ, आगरा के पदों पर नियुक्त रहे हैं। वर्ष 1983 में 'पुलिस उपमहानिरीक्षक' के पद पर प्रोन्नत होने के उपरान्त 'पुलिस उपमहानिरीक्षक' भवन एवं कल्याण, पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद, पुलिस उपमहानिरीक्षक फैजाबाद परिक्षेत्र के पदों पर नियुक्त रहे तथा पुलिस उपमहानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद के पद पर नियुक्त रहते हुये वह केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर प्रस्थान कर गये। वर्ष 1993 में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस आने के फलस्वरूप 'पुलिस महानिरीक्षक' बरेली जोन, लखनऊ जोन, पुलिस महानिरीक्षक सुरक्षा लखनऊ एवं पुलिस महानिरीक्षक शान्ति सुरक्षा बल, उ0प्र0 लखनऊ के पदों पर नियुक्त रहे। वर्ष 1995 में 'अपर पुलिस महानिदेशक' के पद पर प्रोन्नत होकर अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी मुख्यालय, अपर पुलिस

महानिदेशक तकनीकी सेवायें उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध), उ0प्र0 के पदों पर नियुक्त रहे तथा यहीं से पुनः केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर प्रस्थान कर गये। वर्ष 1999 में वह पुलिस कमिश्नर, नई दिल्ली के पद पर नियुक्त हुये तत्पश्चात पुलिस महानिदेशक, बीएसएफ भारत सरकार के पद पर नियुक्त रहते हुये दिनांकः 31.12.2004 को अधिवर्षता आयु पूर्णकर सेवानिवृत्त हुये। श्री अजय राज शर्मा जी का दिनांकः 10.02.2025 की रात्रि को दुःखद निधन हो गया है। श्री अजय राज शर्मा जी ने सेवाकाल में पूर्ण निष्ठा व लगन से कार्य सम्पादित कर पुलिस विभाग को गौरवान्वित किया है। श्री अजय राज शर्मा जी का 38 वर्षों का सेवाकाल उपलब्धियों से भरा रहा है। सेवाकाल के दौरान उन्हें स्वतन्त्रता दिवस 1980 के अवसर पर ''वीरता के लिये पुलिस पदक'', गणतन्त्र दिवस 1984 के अवसर पर ''दीर्घ एवं सराहनीय सेवाओं के लिये पुलिस पदक'', दिनांकः 25.11.1985 को ''वीरता के लिये राष्ट्रपति का पुलिस पदक'' का बार एवं गणतन्त्र दिवस 1996 के अवसर पर ''विशिष्ट सेवाओं के लिये राष्ट्रपति का पुलिस पदक'' प्रदान किया गया है। श्री अजय राज शर्मा अपनी उक्त उपलब्धियों के लिये सदैव हमारी स्मृति में बने रहेंगे।

श्री शीतला प्रसाद श्रीवास्तव जी का जन्म 08 जुलाई 1950 को जनपद जौनपुर में हुआ था। श्री एस0पी0 श्रीवास्तव वर्ष 1976 में ''भारतीय पुलिस सेवा'' में चयनित हुए। प्रशिक्षण के उपरान्त श्री एस0 पी0 श्रीवास्तव, डिवीजनल कमाण्डेट होमगार्ड्स वाराणसी, सहायक पुलिस अधीक्षक वाराणसी, पुलिस अधीक्षक, उन्नाव, पुलिस अधीक्षक सतर्कता अधिष्ठान फैजाबाद, एवं पुलिस अधीक्षक, सीबीसीआईडी मुख्यालय लखनऊ के पदों पर नियुक्त रहे हैं। यहीं से वह वर्ष 1987 में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर प्रस्थान कर गये। वर्ष 1989 में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस आने के फलस्वरूप पुलिस अधीक्षक, प्रशिक्षण एवं सुरक्षा लखनऊ, पुलिस अधीक्षक पीलीभीत, पुलिस अधीक्षक उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 1993 में 'पुलिस उपमहानिरीक्षक' के पद पर प्रोन्नत होने के फलस्वरूप वह केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर पुनः प्रस्थान कर गये। वर्ष 1999 में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस आने के फलस्वरूप 'पुलिस महानिरीक्षक' सीबीसीआईडी मुख्यालय लखनऊ, पुलिस महानिरीक्षक विशेष अपराध लखनऊ, पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ एवं पुलिस महानिरीक्षक पीएसी मुख्यालय लखनऊ के पदों पर नियुक्त रहे, जहाँ से वह वर्ष 2002 में पुनः केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर प्रस्थान कर गये। वर्ष 2007 में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस आने के फलस्वरूप 'अपर पुलिस महानिदेशक' रेलवे लखनऊ, अपर पुलिस महानिदेशक सतर्कता

अधिष्ठान लखनऊ, अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद के पदों पर नियुक्त रहे। वर्ष 2010 में ''पुलिस महानिदेशक'' के पद पर प्रोन्नत होने के उपरान्त 'पुलिस महानिदेशक' पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद के पद पर नियुक्त रहते हुये दिनांकः 31.07.2010 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्णकर सेवानिवृत्त हुये। श्री एस0पी0 श्रीवास्तव जी का दिनांकः 20. 01.2025 को दुःखद निधन हो गया है।

श्री एस0पी0 श्रीवास्तव जी ने अपने सेवाकाल में पूर्ण निष्ठा व लगन से कार्य सम्पादित कर पुलिस विभाग को गौरवान्वित किया है। श्री एस0पी0 श्रीवास्तव जी का 34 वर्षों का सेवाकाल उपलब्धियों से भरा रहा है। सेवा के दौरान उन्हें स्वतन्त्रता दिवस 1992 के अवसर पर ''दीर्घ एवं सराहनीय सेवाओं के लिये पुलिस पदक'' एवं गणतन्त्र दिवस 2000 के अवसर पर ''विशिष्ट सेवाओं के लिये राष्ट्रपति का पुलिस पदक'' प्रदान किया गया है। श्री एस0पी0 श्रीवास्तव अपनी उक्त उपलब्धियों के लिये सदैव हमारी स्मृति में बने रहेंगे।

दिनांक 11.02.2025
प्रेस विज्ञप्ति 13/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद संतकबीरनगर/थाना बेलहर कला</u>

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 02 लाख 52 हजार 400 रूपये नगद**
- **02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 11.02.2025 को थाना बेलहर कला व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अमरडोभा के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त मो0 नसीम घायल हो गया, जिसे अभियुक्त अताउर्रहमान सहित गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 02 लाख 52 हजार 400 रूपये नगद, 02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 04.02.2025 को थाना बेलहर कला क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बेलहर कला पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बेलहर कला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मो0 नसीम निवासी बेलसड़ कोठी थाना व जनपद सिद्धार्थनगर।

2–अताउर्रहमान निवासी बेलसड़ कोठी थाना व जनपद सिद्धार्थनगर।

बरामदगी

1–लूट के 02 लाख 52 हजार 400 रूपये नगद।

2–02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सूरजपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 कटी बाइक, 04 मोटर साइकिल के पार्टस**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांकः 11.02.2025 को थाना सूरजपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मोजर बीयर गोल चक्कर पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–दिलशाद उर्फ इरशाद घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–अशरफ सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 कटी बाइक, 04 मोटर साइकिल के पार्टस, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त दिलशाद उर्फ इरशाद के विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर कई आपराधिक अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—दिलशाद उर्फ इरशाद निवासी असालतपुर थाना टीलामोड़, गाजियाबाद।

2—अशरफ निवासी नाहल थाना मसूरी, गाजियाबाद।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 कटी बाइक, 04 मोटर साइकिल के पार्टस।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

<u>जनपद कासगंज/थाना सहावर</u>

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **08 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 33 जीवित कारतूस विभिन्न बोर, 02 मैग्जीन**
- **02 एयर गन .22 बोर**
- **650 ग्राम अवैध चरस आदि बरामद**

दिनांकः 11.02.2025 को थाना सहावर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सहावर—गंजडुण्डवारा रोड़ से अभियुक्त मेहराज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 08 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 33 जीवित कारतूस विभिन्न बोर, 02 मैग्जीन, 02 एयर गन .22 बोर, 650 ग्राम अवैध चरस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद कासगंज के थाना सहावर पर हत्या, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट व गैंगेस्टर एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सहावर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—मेहराज निवासी मोहल्ला काजी कस्बा व थाना सहावर जनपद कासगंज।

बरामदगी

1—08 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 33 जीवित कारतूस विभिन्न बोर, 02 मैग्जीन,।

2—02 एयर गन .22 बोर।

3—650 ग्राम अवैध चरस आदि।

जनपद आजमगढ़/थाना सिधारी

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 35 लाख रूपये (कीमत) के 221 किलो 820 ग्राम अवैध गांजा**
- **नगद रूपये**
- **घटना में प्रयुक्त ट्रक बरामद**

दिनांक 11.02.2025 को थाना सिधारी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान सुहेलदेव विश्वविद्यालय तिराहा से अभियुक्त मनोज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 35 लाख रूपये (कीमत) के 221 किलो 820 ग्राम अवैध गांजा, नगद रूपये, घटना में प्रयुक्त ट्रक बरामद हुये।

इस संबंध में थाना सिधारी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1— मनोज निवासी फौलादपुर थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर।

बरामदगी

1—लगभग 35 लाख रूपये (कीमत) के 221 किलो 820 ग्राम अवैध गांजा।

2—नगद रूपये।

3—घटना में प्रयुक्त ट्रक।

जनपद फिरोजाबाद/थाना रसूलपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांकः 10.02.2025 को थाना रसूलपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लालपुर मंडी ग्राउंड़ में बदमाश की घेराबंदी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त लईक घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना रसूलपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–लईक निवासी 30 फुटा थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद मथुरा/थाना राया

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **369 ग्राम अवैध हेरोइन आदि बरामद**

दिनांकः 10.02.2025 की रात्रि थाना राया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर इटौली बंबा पुलिया से गांव इटौली की तरफ जाने वाले बंबे की पटरी से अभियुक्त करन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 369 ग्राम अवैध हेरोइन आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद अलीगढ़, मथुरा के विभिन्न थानों पर लूट, एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना राया पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1— करन निवासी शीतला थाना मुरसान जनपद हाथरस।

बरामदगी

1—369 ग्राम अवैध हेरोइन आदि

जनपद औरैया/थाना अजीतमल

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **33 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा**
- **नगद रूपये, 01 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 11.02.2025 को थाना अजीतमल व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्रान्तर्गत चेकिंग के दौरान अभियुक्त लाखन उर्फ लालू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 33 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा, नगद रूपये, 01 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना अजीतमल पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—लाखन उर्फ लालू निवासी गोविन्द नगर थाना कोतवाली जनपद औरैया।

बरामदगी

1—33 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा।

2—नगद रूपये, 01 मोबाइल फोन।

3—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना सफदरगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना सफदरगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/376 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अजय कुमार को आजीवन कारावास व 01 लाख 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद एटा/थाना राजा का रामपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 80–80 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना राजा का रामपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 364/302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–राशिद 2–अशरफ को आजीवन कारावास व 80–80 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अम्बेडकरनगर/थाना कोतवाली टाण्डा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना कोतवाली टाण्डा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–मनोज 2–राधे को आजीवन कारावास व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद रामपुर/थाना सिविल लाइन (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)</u>**

जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद रामपुर द्वारा थाना सिविल लाइन पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत

अभियुक्त 1–आरिफ को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये एवं दो अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 22–22 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **कमिश्नरेट वाराणसी/थाना चौबेपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय वाराणसी द्वारा थाना चौबेपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376क,ख भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अखिलेश को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————